<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 124 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-24 / 02 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504003122014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. दीपक पिता रामू साहू उम्र 25 वर्ष
- 2. बबलू पिता रामू साहू उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी वार्ड नं. 1 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u> -: (नि र्ण य) :--</u>

(आज दिनांक 03.10.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.02.2014 को रात 09:30 बजे वार्ड क. 1 गणेश कॉलोनी आमला स्थित उनके घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत फरियादी गोलू साहू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी गोलू साहू की धारदार कुल्हाड़ी जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2014 को फरियादी उसके घर पर था तथा अभियुक्तगण उसके घर आये और उसे शराब पीकर घर क्यों आया इसी पर पर से उसे कुल्हाड़ी जैसी वस्तु से मारा जिससे उसके सिर, बांये हाथ का पंजा, कलाई पर चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 163/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त दीपक से एक कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3 प्रकरण में फरियादी गोलू साहू का अभियुक्तगण से राजीनामा हो चुका है किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे धारा 324/34 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण का लिखित में परीक्षण न किया जाकर धारा—313 दं0प्र0सं० के अंतर्गत मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने आप को निर्दोष होना प्रकट किया।

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

5

"क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19.02.2014 को रात 09:30 बजे वार्ड क. 1 गणेश कॉलोनी आमला स्थित उनके घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत फरियादी गोलू साहू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी गोलू साहू की धारदार कुल्हाड़ी जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 गोलू (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि हाटना ढाई वर्ष पुरानी होकर आमला गणेश कॉलोनी की रात्रि 9—10 बजे की है। हाटना के समय अभियुक्तगण उसके घर के सामने आये और महादेव जाने की बात को लेकर जोर—जोर से उसे चिल्लाने लगे जिससे वह डरकर वहां से भागने लगा तो वह रोड पर गिर गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) थाना आमला में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) तैयार किया था।
- गोलू (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा उसके घर के सामने आकर उसे जोर—जोर से चिल्लाने पर डरकर भागकर रोड पर गिरने के कथन किये हैं परंतु साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने की बात को गलत बताया है।
- 8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मौखिक वाद विवाद किया जाना प्रमाणित होता है परंतु अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर आहत/फरियादी को चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण द्वारा धारा 324/34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी गोलू साहू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी गोल

साहू की धारदार कुल्हाड़ी जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण दीपक एवं बबलू को धारा 324/34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 9 प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- 10 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)